आज़ादी का अमृत महोत्सव

अनुमानित कराधान

आयकर विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

1. अनुमानित कराधान क्या है?

छोटे करदाताओं को बही खातों के रख–रखाव तथा खातों की लेखा–परीक्षा के नीरस कार्य से राहत देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AD, 44ADA तथा 44AE के अंतर्गत अनुमानित कराधान योजना तैयार की गई है। अनुमानित काराधान योजना को अपनाने वाले करता इसके बजाय एक निर्धारित दर पर आय की घोषणा कर सकते हैं।

2. धारा 44AD के अंतर्गत अनुमानित कराधान के लिए कौन पात्र है?

धारा 44AD के अंतर्गत अनुमानित कराधान के लिए पात्र निर्धारितियों की श्रेणीः

एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार या साझेदारी फर्म, जो एक निवासी है परंतु सीमित देयता भागीदारी फर्म नहीं है जैसा कि सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (6–2009) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (एन) के अंतर्गत परिभाषित है।

पात्र निर्धारिती को धारा 44AE में संदर्भित माल गाड़ी चलाने, किराये या लीज के व्यापार के अलावा कोई अन्य व्यापार करता हो और जिसकी कुल आवर्त (Turnover) या सकल प्राप्तियां पूर्व वर्ष में दो करोड़ रूपये से कम नहीं हैं।

धारा 44AD के अन्तर्गत व्यक्तियों की वे श्रेणियां जो अनुमानित कराधान के लिए पात्र नहीं हैं।

I) अनिवासी।

II) वे व्यक्ति जिन्होंने संबंधित वर्ष में धारा 10A ,10AA, 10B या 10BA के अंतर्गत किसी भी कटौती का दावा किया हो या खंड (VIA) के प्रावधानों के "अंतर्गत निश्चत आय के संबंध में कटौतियाँ" शीर्ष के अंतर्गत किसी भी कटौती का दावा किया हो।

III) किसी अभिकरण (Agency) संबंधी व्यापार करने वाला व्यक्ति।

IV) धारा 44AA की उपधारा (1) में संदर्भित व्यवसाय करने वाला व्यक्ति।

V) कमीशन या दलाली/बीमा अभिकर्ता के रूप में आय अर्जित करने वाला व्यक्ति।

VI) कम्पनियाँ तथा एलएलपी।

3. धारा 44ADA के अंतर्गत अनुमानित कराधान के लिए कौन पात्र है?

भारतीय निवासी जो निम्न व्यवसाय करते हैं:

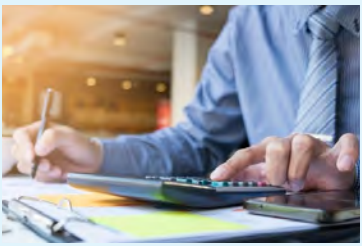

1. कानूनी
2. मेडिकल
3. अभियांत्रिकी
4. वास्तुकला सेवा
5. लेखाकार्य
6. तकनीकी परामर्श सेवा
7. आंतरिक साज–सज्जा या
8. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित अन्य व्यवसाय

जिनकी वित्तीय वर्ष के दौरान सकल प्राप्ति/टर्नओवर के दौरान 50 लाख रूपये से अधिक नहीं है।

नोट: वित्त अधिनियम, 2021 के पात्र निर्धारिती को परिभाषित करने हेतु धारा 44ADA के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। निर्धारण वर्ष 2021–22 में धारा 44ADA का लाभ केवल उन निर्धारितियों के मामले में पात्र है जो एक सीमित देयता भागीदारी (LLP) के अलावा एक व्यक्तिगत या साझेदारी फर्म है जैसा कि अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (एन) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो भारत में निवासी है।

एक व्यक्ति जो दावा करता है कि व्यवसाय से लाभ व अभिलाभ निर्दिष्ट लाभ व अभिलाभ (अर्थात 50% से कम) से कम हैं और जिसकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो कर हेतु प्रभार्य नहीं है तो उसको धारा 44AA के प्रावधानों के अनुसार लेखा–बही बनानी होगी और धारा 44AB के अनुसार अपने खातों की लेखा–परीक्षा करवानी होगी।

4. धारा 44AE के अंतर्गत अनुमानित कराधान के लिए कौन पात्र है?

कोई भी व्यक्ति (व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी आदि) जो माल वाहक वाहनों के प्रचालन, किराये पर लेने अथवा लीज का कार्य करता हो और वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके पास 10 मालवाहक वाहनों से अधिक नहीं है।

5. अनुमानित कराधान योजना के अंतर्गत आय घोषित करने के क्या लाभ हैं?

(i) धारा 44A या 44AB अंतर्गत निर्धारित लेखा बही रखरखाव की आवश्यकता नहीं या लेखा बही आयकर लेखा परीक्षा की आवश्यकता नहीं, जैसा भी मामला हो।

(ii) अनुमानित कराधान योजना को अपनाने वाले व्यक्ति को पूर्व वर्ष के लिए दायी पूरा अग्रिम कर 15 मार्च या उससे पूर्व भरना होगा। अन्य शब्दों में ऐसे व्यक्तियों को अन्य करदाताओं की तरह (जो करदाता इस योजना में शामिल नहीं है) पूर्व वर्ष की अग्रिम कर की किश्तें 15 जून, 15 सितम्बर तथा 15 दिसम्बर को भरने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) आईटीआर–4 (सुगम) में आयकर विवरणियाँ सरलता एवं लघुरूप में भरी जा सकती है।

(iv) अनुपालन भार कम करता है व व्यापार करने में आसानी होती है।

6. अनुमानित काराधान योजना के अन्तर्गत आय की गणना कैसे करें?

(i) धारा 44D: वित्त वर्ष के दौरान पात्र व्यापार में कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों के 8% को कुल (कर योग्य) आय माना जाएगा। डिजिटल संव्यवहार को बढ़ावा देने के लिए तथा असंगठित लघु व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, पूर्व वर्ष के दौरान या आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि से पूर्व, जो डिजिटल संव्यवहार अपनाते है जैसे एकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट, बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन पद्धति, एकाउंट पेई चैक आदि के मामले में आवर्त/सकल प्राप्तियों के 8% की जगह 6% आय को कुल (कर योग्य) आय माना जाएगा।

(ii) धारा 44DA: कुल सकल प्राप्तियों का 50%

(iii) धारा AE: भारी माल ढुलाई वाहनों के लिए प्रत्येक माह या माह के कुछ भाग के लिए वाहन के कुल भार

का 1000/– रूपये प्रति टन की दर से अन्य वाहनों के लिए प्रत्येक माह या माह के कुछ भाग के लिए 7500/– रूपये की दर से।

(iv) निर्धारित दर अनुसार गणना की गई अनुमानिक आय, अंतिम आय होगी तथा व्यापार/व्यवसाय/आय हेतु इसमें कोई कटौती/व्यय शामिल करने की अनुमति नहीं होगी।

(v) निर्धारित दर से उच्च दर पर आय घोषित करने का विकल्प।

7. अनुमानित काराधान योजना के अंतर्गत उपलब्ध कटौतियाँ?

(i) आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अनुसार, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य व्यापार/व्यवसाय की आय की गणना संबधित व्यय, जो घटाने योग्य है, को घटाकर की जाएगी।

(ii) हालांकि, जिस व्यक्ति ने अनुमानित काराधान योजना के विकल्प को चुना है, के मामले में निर्धारित दर अनुसार गणना की गई अनुमानित आय को अंतिम आय माना जाएगा तथा व्यापार/व्यवसाय आय के लिए कोई कटौती/व्यय की अनुमति नहीं होगी। केवल साझेदारी फर्म के लिए छूट होगी, जो धारा 44AE के अन्तर्गत अनुमानित कराधान योजना के लाभ का दावा करती हो। फर्म (आयकर अधिनियम के अंतर्गत मान्य/स्वीकार्य), साझेदारों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक तथा ब्याज की कटौती का दावा कर सकती है।

(iii) मूल्यह्रास के रूप में अलग से कटौती की अनुमति नहीं होगी। हालांकि व्यापार में उपयोग होने वाली किसी सम्पत्ति के लिखित मूल्य के अनुसार मूल्यह्रास के रूप में गणना धारा 32 के तहत की जाएगी तथा वास्तविकता के आधार पर उसे स्वीकार किया जाएगा।

8. अगर व्यक्ति धारा 44AD के अन्तर्गत अनुमानित कराधान योजना से बाहर आने का विकल्प चुनता है तो उसके परिणाम।

अगर व्यक्ति अनुमानित कराधार योजना का विकल्प चुनता है तो उसे अगले 5 वर्षों तक इसी योजना का अनुपालन करना अपेक्षित है। अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है तो अगले 5 वर्षों तक उसे अनुमानित कराधार योजना उपलब्ध नहीं हो सकेगी।

इसके अतिरिक्त जिस निर्धारण वर्ष में वह अनुमानित कराधान योजना से बाहर आता है तो उसके लिए उस वर्ष की लेखा बही का रखरखाव और उसे सुरक्षित रखना अपेक्षित होगा और वह आयकर लेखा परीक्षा के लिए भी दायी होगा, यदि उसकी कल आय न्युनतम कर योग्य सीमाओं से अधिक है तो।

9. क्या अनुमानित कराधान योजना के अंतर्गत कम या ज्यादा आय घोषित की जा सकती है?

(i) कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी व्यापारिक आय धारा 44AD, 44ADA तथा 44AE के अन्तर्गत निर्धारित दर से अधिक घोषित कर सकता है।

(ii) कोई व्यक्ति धारा 44AD, 44ADA तथा 44AE के अंतर्गत निर्धारित आय से कम दर पर आय की घोषणा कर सकता है। हालांकि, इस स्थिति में धारा 44AA और धारा 44AB या जो भी मामला हो, उसके लिए लेखा बही का रखरखाव अपेक्षित होगा तथा खातों की लेखा परीक्षा करवाना अपेक्षित है।

incometaxindiaofficial
IncomeTaxIndia
IncomeTaxIndia.Official
Income Tax India

आयकर विभाग
(जन संपर्क, प्रकाशन और प्रचार)
6 तल, मयूर भवन, नई दिल्ली

इस पैम्प्लेट को कानून का संपूर्ण विवरण नहीं माना जाना चाहिए। सम्पूर्ण विवरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 देखें।

www.incometax.gov.in

डिजाइन एंड मुद्रणः एक्सेल प्रिंटिंग यूनिवर्स, नई दिल्ली

फरवरी 2022